



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विकशन" के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों 1-तरुण उर्फ डॉन, 2-विपिन उर्फ भगोटा व 3-रामबाबू प्रत्येक को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-तरुण उर्फ डॉन पुत्र तेजपाल सिंह, 2-विपिन उर्फ भगोटा पुत्र आखेराम व 3-रामबाबू पुत्र राजवीर निवासी गण ग्राम हैवा थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 129/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-तरुण उर्फ डॉन, 2-विपिन उर्फ भगोटा व 3-रामबाबू प्रत्येक को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत



आरक्षी हरदीप सिंह परोकार थाना छपरौली



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 07.07.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

बोनी पुत्र बाबू निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 714 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-हो०गा० 435 प्रणवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 07.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बड़ौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

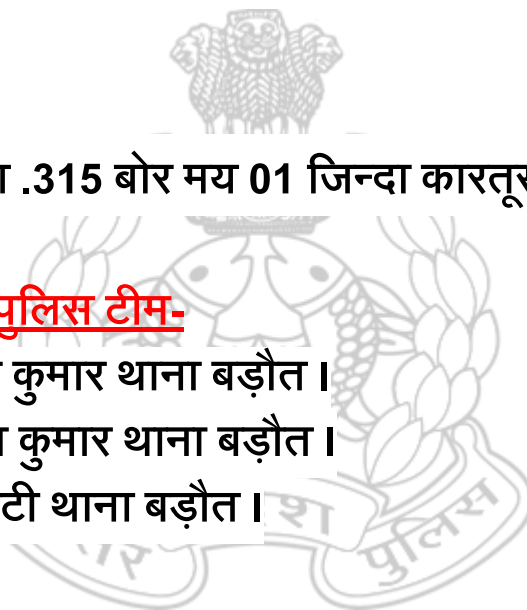
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत ।

2-है0का0 633 रुस्तम कुमार थाना बड़ौत ।

3-का0 647 प्रवीण भाटी थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 07.07.2025

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

किशोर पुत्र जयपाल निवासी ग्राम बौढा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- का0 524 सौपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।